न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– सुरेन्द्र सिंह खंगारोत, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या:– 04/2020

प्रार्थीगण ::–

1. भंवरकंवर पत्नी छगनसिंह जाति राजपूत
2. छगनसिंह पुत्र बलवंतसिंह जाति राजपूत

निवासी मवडी तहसील सिवाना जिला बालोतरा

–::बनाम::–

विप्रार्थी::–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– श्री कैलाशपुरी वकील प्रार्थीगण

आदेश

दिनांकः– 18.11.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.सं. 536/508,537/508 व 538/508 रकबा क्रमशः 3.7231,3.7231 व 3.2375 हैक्टेयर ग्राम मवडी तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। उक्त खसरे की बदिशा उत्तर सीमा से लगती विप्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.स. 630/472 आई हुई है। प्रार्थीगण को अपने खेत से आवागमन हेतु, जो आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट (अ) में बरंग पीला से दर्शाया गया है, विप्रार्थी उक्त खेत में से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थीगण के आवागमन का इकलौता विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थीगण बरसात के मौसम में कृषि संयत्र लाता ले जाता है। विप्रार्थी रास्ता अपनी खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थीगण को आवागमन में व्यवधान पैदा करते हैं, अतः प्रार्थीगण ने उक्त रास्ते को भूमि रिकार्ड में गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है तथा प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थी को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्ति की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.28 13:18:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई।

वकील प्रार्थीगण ने अपने आवेदन के समर्थन में अपनी खातेदारी भूमि एवं उससे लगती विप्रार्थी की खातेदारी भूमि की जमाबंदी एवं प्रस्तावित रास्ता दर्शाये हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार सिवाना से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

प्रार्थीगण वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण की बहस है कि प्रार्थीगण की मौजा मवडी अवस्थित खातेदारी भूमि ख.सं. 536/508,537/508 व 538/508 रकबा क्रमशः 3.7231,3.7231 व 3.2375 हैक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.सं. 630/472 की बदिशा उत्तर पर कदीमी रूप से प्रचलित रास्ता ही इकलौता, निकटतम एवं सुगम मार्ग है, जिससे प्रार्थीगण का परिवार पीढ़ियों से आवागमन करता आ रहा है। उक्त रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यंतिक आवश्यकता है। अतः रास्ते में प्रस्तावित लम्बाई 22 ग्टठा तथा चौडाई 3 गट्ठा भूमि, सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज की जावे। प्रार्थीगण रास्ते में प्रभावित भूमि के बदले न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थी को देने हेतु सहमत है।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार सिवाना ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण के खसरा संख्या 536/508,537/508 व 538/508 रकबा क्रमशः 3.7231,3.7231 व 3.2375 हैक्टेयर में आवगमन हेतु विप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 630/472 मे से चाही गया रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाए बरंग गुलाबी रास्ता ही सुविधाजनक ,निकटतम एवं एक मात्र वैकल्पिक रास्ता बताया है। विप्रार्थी के प्रभावित खसरे की DLC दर 2042822/— प्रति हैक्टेयर है एवं रास्ते से प्रभावित भूमि की लम्बाई 22 गट्टा व चौडाई 3 गटटा है। प्रभावित रकबे की डीएलसी दर से दुगनी राशि रास्ते की भूमि के बदले में विप्रार्थी को दी जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.28 13:18:42 IST
Reason: Self-Attested

प्रार्थीगण वकील द्वारा अपनी खातेदारी भूमि अत्यल्प होने के मद्देनजर प्रार्थीगण को विप्रार्थी के खसरा संख्या 630/472 को किस्म गै.मु. रास्ते को राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज करते हुए व खसरा संख्या 630/472 मे से रास्ता दिलाये जाने हेतु निवेदन किया है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मवडी तहसील सिवाना की ख.सं .536/508,537/508 व 538/508 रकबा क्रमशः 3.7231,3.7231 व 3.2375 हैक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थी की खातेदारी भूमि खं.सं. 630/472 लम्बाई 22 गट्टा चौडाई 3 ग्टटा में तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में बरंग गुलाबी से दर्शित भूमि, पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि के रूप में तहसीलदार सिवाना द्वारा रास्ते हेतु प्रभावित रकबे की गणना के पश्चात डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिवाना को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

तहसीलदार सिवाना द्वारा पत्रांक राजस्व/2022/690 दिनांक 17.10.2022 को मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 18.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.28 13:18:42 IST
Reason: SelfAttested

आंशिक नक्शा किशतवार मौजा - मवड़ी
तहसील - सिवाना (बाड़मेर)
पैमाना 1" = 20 गट्ठे

धारा 251A प्रकरण सं. 04/2020

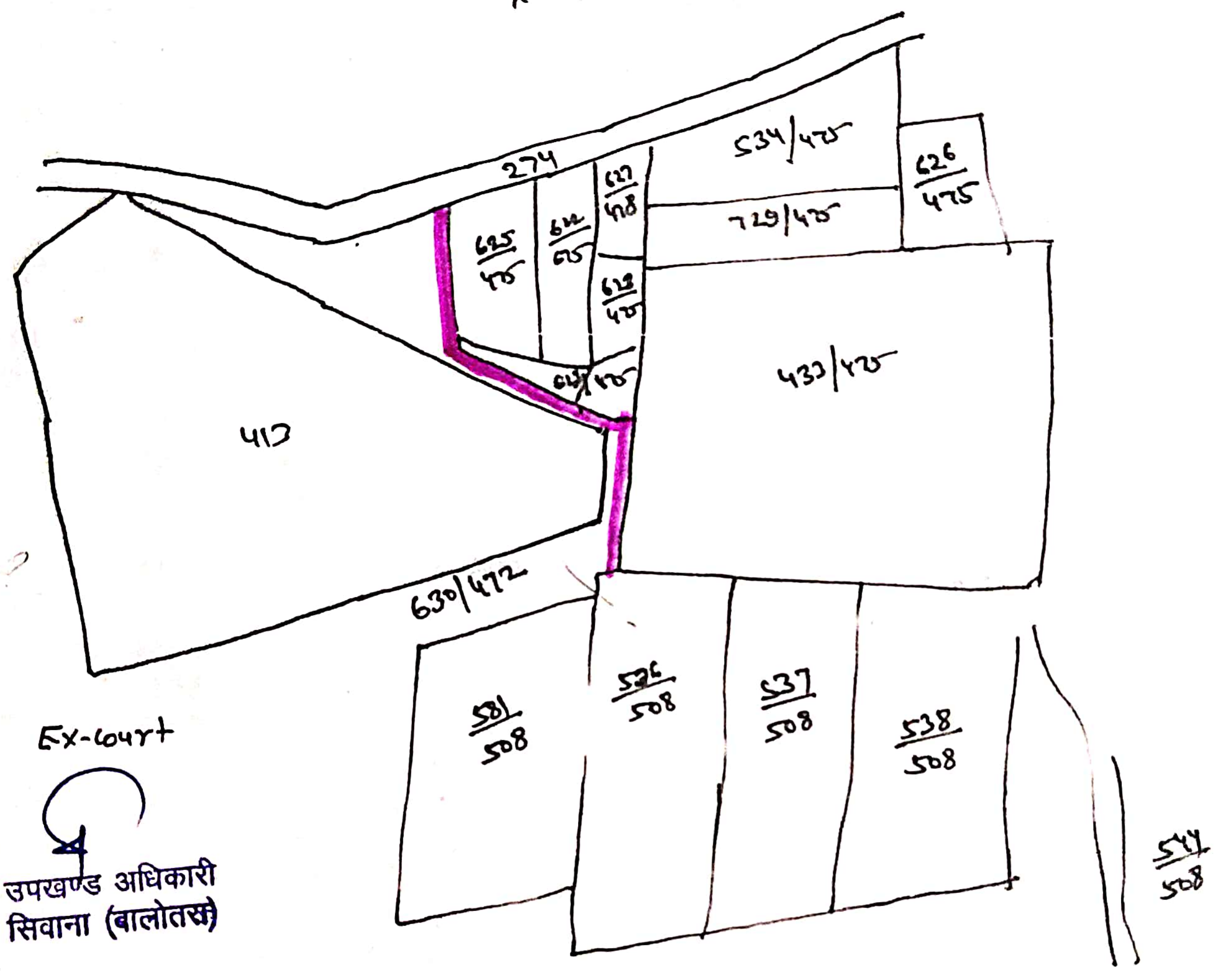

Ex-court

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

संकेत : प्रस्तावित रास्ता

1-8-2022

1-8-22

तहसीलदार सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.28 13:18:42 IST
Reason: SelfAttested